भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2044
(दिनांक 29.11.2019 को उत्तर देने के लिए)

चैनलों पर शास्तियां लगाना

2044. श्री श्याम सिंह यादवः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न चैनलों पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन हेतु कितने चैनलों पर शास्तियां लगाई गई हैं और उन शास्तियों की प्रकृति क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ग): सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अपेक्षा है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में यथा निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं और उसके तहत बनाए गए नियमों और इस मंत्रालय द्वारा जारी अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011 का पालन करें। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत, केंद्र सरकार को उक्त कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन पाए जाने पर किसी चैनल अथवा किसी कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने का अधिकार है। इसी तरह का अधिकार निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के संबंध में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011 के अंतर्गत प्राप्त है।

उपरोक्त कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन सिद्ध होने पर टीवी चैनलों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। टीवी चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई, चेतावनी देने या कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं का पालन करने की एडवाइजरी जारी करने या चैनलों पर क्षमा मांगने का स्क्रॉल चलाने के निदेश देने के रूप में की जा सकती है और यहां तक कि

उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर विभिन्न अवधि के लिए अस्थायी तौर पर उनके चैनलों के प्रसारण को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

वर्ष 2016 से निजी सैटेलाइट चैनलों द्वारा अश्लील सामग्री दिखाने सहित विभिन्न उल्लंघनों के प्रसारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**की गई कार्रवाई**	**संख्या**
1.	एडवाइजरी	46
2.	चेतावनी	39
3.	क्षमा स्क्रॉल चलाने हेतु आदेश	30
4.	प्रसारण बंद करने के आदेश	09
	कुल	**124**

*****